प्रशासनिक कार्यालय, जिला न्यायाधीश, अमरोहा।

आदेश संख्या:- 83 दिनांक:- 18/06/21

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–1964/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 15.06.2021 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु Rotation/ Time by slot के अनुसार नामित किये गये अधिकारीगण अपने–अपने न्यायालय से सम्बन्धित लम्बित जमानत प्रार्थनापत्र, अवमुक्ति आदेश, अति आवश्यक विविध प्रार्थना–पत्र फौजदारी, पेटी ऑफेन्स वादों का निस्तारण, माननीय हाई पॉवर कमेटी (एच.पी.सी) द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन और अति आवश्यक सिविल मामले (जैसे कि निषेधाज्ञा मामले और अन्य सिविल मामलों के अन्य प्रार्थना पत्र) तात्कालिकता के अनुसार सुने जाने एवं अति आवश्यक सिविल मामले (जैसे कि नये वादो का दायरा आदि) का निस्तारण एवं सुनवाई आदि का न्यायिक कार्य सम्पादित करेंगे।

रोस्टर में क्रम संख्या–1 पर अंकित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नये जमानत प्रार्थनापत्रों की सुनवाई आदि का कार्य सम्पादित करेंगे।

रोस्टर में क्रम संख्या–2 पर अंकित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बयान अंतर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभिलिखित किये जाने का आदेश पारित करेंगे।

रोस्टर में क्रम संख्या–3 पर अंकित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्र न्यायालयों द्वारा विचारणीय पत्रावलियों में जेल में निरूद्ध अभियुक्तों के रिमाण्ड आदि का कार्य सम्पादित करेंगे।

रोस्टर में अंकित वरिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नये जमानत प्रार्थनापत्रों की सुनवाई आदि का कार्य सम्पादित करेंगे।

रोस्टर में अंकित कनिष्ठ महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट बयान अंतर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभिलिखित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सभी सम्बन्धित सूचित हों।

18.6.2021

जिला न्यायाधीश,
अमरोहा।

DISTRICT JUDGE
AMROHA